प्रेषक,

वी0के0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2015

विषय जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण को वाहन भत्ता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- सीपी 503/84-2-2010-सीपी 29/96, दिनांक 07 जनवरी, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण को फोरम कार्यालय आने-जाने एवं अन्य शासकीय कार्य हेतु धनराशि रू0 1830/- (रूपया एक हजार आठ सौ तीस मात्र) प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि रू0 1830/- (रूपया एक हजार आठ सौ तीस मात्र) प्रतिमाह के स्थान पर रू0 2510/- (रूपया दो हजार पांच सौ दस मात्र) प्रतिमाह करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3 यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-सात-970/दस-2015, दिनांक 03 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

बी0के0 त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या-33/2015/सीपी 651(1)/84-2-2015-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
(3) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

.....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(6) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(8) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(10) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया वह इस आदेश की प्रति सामान्य / महिला सदस्य व फोरम कार्यालय को भी उपलब्ध करा दें। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।